

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 22, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश कूपेंद्र द्विवेदी अंकित हो गया है जिसमें मैं, वर्तमान में अपना नाम कूपेंद्र कुमार द्विवेदी करवाना चाहता हूँ, जिस हेतु मेरा कूपेंद्र कुमार द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जायेगा.

पुराना नाम
(कूपेंद्र द्विवेदी)

नया नाम
(कूपेंद्र कुमार द्विवेदी).

(G-2653)

नाम परिवर्तन

मैं, कलीम उद्दीन पुत्र स्व. श्री अंजाम उद्दीन, निवासी-43, बरकतउल्ला कॉलोनी, शंहराह गार्डन, रायसेन मार्ग हुजूर, भोपाल. मेरा नाम कलीम उद्दीन अंकित हो गया था. जिससे अब काजी कलीम उद्दीन (KAJI KALIM UDDIN) के नाम से पढ़ा व जाना जाये.

आवेदक
(कलीम उद्दीन).

(G-2654)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी माहौर पत्नी मनीष माहौर, निवासी-375, सुभाष नगर, ग्वालियर वर्तमान पोद्दार कॉलोनी, सागर, मैंने अपना नाम बदल कर विनीता माहौर कर लिया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से पहचाना जाए.

पुराना नाम
(लक्ष्मी माहौर)

नया नाम
(विनीता माहौर).

(G-2655)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लक्ष्मीनारायण रजक पुत्र श्री कमर लाल रजक, निवासी—ग्राम जामनेर, तहसील मधुसूदनगढ़, जिला गुना (म.प्र.). मेरे और मेरे बच्चों के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कहीं लक्ष्मीनारायण रजक तो कहीं बब्लू सिंह रजक नाम का उल्लेख है. प्रकाशन उपरांत अब मुझे बब्लू सिंह रजक पुत्र श्री कमर लाल रजक नाम से जाना—पहचाना जाये एवं शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में अंगीकृत किया जाये.

पुराना नाम

(लक्ष्मीनारायण रजक)

(G-2656)

नया नाम

(बब्लू सिंह रजक)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, पिकी वाधवानी (PINKI WADHWANI) पति प्रकाश वाधवानी, निवासी—नानेश नगर, मंदसौर, मेरा पूर्व नाम पिकी बाधवानी (PINKI BADHWANI) था, अब मेरा नाम पिकी वाधवानी (PINKI WADHWANI) है. मेरे मतदाता फोटो पहचान—पत्र में मेरा सही नाम पिकी वाधवानी (PINKI WADHWANI) है. प्रकाशन उपरान्त मुझे संशोधित नाम से पहचाना व पुकारा जाए, भविष्य में मुझे पिकी वाधवानी (PINKI WADHWANI) के नाम से जाना—पहचाना जाएगा.

पुराना नाम

(पिकी बाधवानी)

(PINKI BADHWANI)

(G-2657)

नया नाम

(पिकी वाधवानी)

(PINKI WADHWANI)

निवासी—नानेश नगर,

मंदसौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मनस्वी एल रत्नावत पति लक्ष्मीकांत रत्नावत, निवासी—कोठारी कालोनी, मंदसौर, मेरा पूर्व का नाम मनस्वी गुप्ता पिता जुगलकिशोर गुप्ता था, विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती मनस्वी एल रत्नावत पति लक्ष्मीकांत रत्नावत है. मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेज, आधार कार्ड में मेरा सही नाम मनस्वी एल रत्नावत पति लक्ष्मीकांत रत्नावत है. प्रकाशन उपरान्त मुझे संशोधित नाम से पहचाना व पुकारा जाए, भविष्य में मुझे श्रीमती मनस्वी एल रत्नावत पति लक्ष्मीकांत रत्नावत के नाम से जानी—पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम

(मनस्वी गुप्ता)

(G-2658)

नया नाम

(मनस्वी एल रत्नावत)

पति—लक्ष्मीकांत रत्नावत,

निवासी—कोठारी कॉलोनी,

मंदसौर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम अनुराधा अहिरवार पुत्री मदन लाल अहिरवार था. शादी के पश्चात् मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती अनुराधा चौधरी पत्नी श्री विक्रम सिंह चौधरी कर लिया है. यह दोनों नाम मेरी ही हैं. मुझे मेरे सही व वर्तमान नाम श्रीमती अनुराधा चौधरी पत्नी श्री विक्रम सिंह चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(अनुराधा अहिरवार)

(G-2659)

नया नाम

(अनुराधा चौधरी)

पत्नी—श्री विक्रम सिंह चौधरी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अल शेहान उस्मानि है. शैक्षणिक दस्तावेजों में अल शेहान उस्मानि पिता मोइज़ उस्मानि (AL SHAIHAAN USMANI S/o MOIZ USMANI) अंकित है. जबकि मेरा एवं मेरे पिता का वास्तविक एवं प्रचलित नाम अल शेहान उस्मानि पिता मोइज़ उर्रेहमान उस्मानि (AL SHEIHAAN USMANI S/o MOIZ URREHMAAN USMANI) है. जिस कारण मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में अपना एवं मेरे पिता का नाम अल शेहान उस्मानि पिता मोइज़ उस्मानि (AL SHAIHAAN USMANI S/o MOIZ USMANI) के स्थान पर अल शेहान उस्मानि पिता मोइज़ उर्रेहमान उस्मानि (AL SHEIHAAN USMANI S/o MOIZ URREHMAAN USMANI) लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अल शेहान उस्मानि)
(AL SHAIHAAN USMANI)

नया नाम
(अल शेहान उस्मानि)
(AL SHEIHAAN USMANI)
पिता-मोइज़ उर्रेहमान उस्मानि
S/o MOIZ URREHMAAN USMANI.

(G-2660)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सविता लोधी (SAVITA LODHI) पत्नी श्री रोहित लोधी (ROHIT LODHI), निवासी-पता वार्ड नं. 29 सी.एम. हाऊस के पास नियर माता मंदिर शेरपुरा, विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सुनीता कुचबंदिया (SUNITA KUCHBANDHIA) दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, शैक्षणिक रिकार्ड एवं कुछ शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती सविता कुचबंदिया (SAVITA KUCHBANDHIA) पुत्री श्याम कुचबंदिया (SHYAM KUCHBANDHIA) दर्ज है. जबकि मेरा सही नाम श्रीमती सविता लोधी (SAVITA LODHI) पत्नी श्री रोहित लोधी (ROHIT LODHI) जो स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र में है. सही है. अतः भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में श्रीमती सविता लोधी (SAVITA LODHI) पत्नी श्री रोहित लोधी (ROHIT LODHI) नाम से जाना-पहचाना व लिखा जावे.

पुराना नाम
(सविता कुचबंदिया)
(SAVITA KUCHBANDHIA)

नया नाम
(सविता लोधी)
(SAVITA LODHI)
पत्नी-श्री रोहित लोधी
(ROHIT LODHI).

(G-2661)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम शैलेन्द्र सिंह भेलवाल (Shelendra Singh Bhelwal) आत्मज श्री गोपाल सिंह था, मैंने अपने पूर्व के नाम को परिवर्तित कर शैलेन्द्र सिंह बघेलवाल (Shailendra Singh Baghelwal) आत्मज श्री गोपाल सिंह बघेलवाल कर लिया है. प्रकाशन उपरांत मेरा नाम शैलेन्द्र सिंह बघेलवाल (Shailendra Singh Baghelwal) शासकीय दस्तावेजों आधार कार्ड, आदि में लिखा व पढ़ा जावे एवं संबोधित किया जावे.

पुराना नाम
(शैलेन्द्र सिंह भेलवाल)
(Shelendra Singh Bhelwal)

नया नाम
(शैलेन्द्र सिंह बघेलवाल)
(Shailendra Singh Baghelwal)
आत्मज-श्री गोपाल सिंह बघेलवाल.

(G-2662)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम के एल त्रिपालिया (K L TRIPALIA) अंकित है . जिसको सुधारकर मेरा पूरा नाम कन्छेदी लाल त्रिपालिया (KANCHHEDI LAL TRIPALIA) पिता मोहन लाल करना है. अतः अब मुझे मेरे नये संशोधित नाम से जाना जाये.

पुराना नाम
(के एल त्रिपालिया)
(K L TRIPALIA)

नया नाम
(कन्छेदी लाल त्रिपालिया)
(KANCHHEDI LAL TRIPALIA)
पिता-मोहन लाल (MOHAN LAL)
निवास-219, स्वामी विवेकानंद परिसर,
कटारा, भोपाल, (म.प्र.).

(G-2663)

नाम परिवर्तन

मैं, चेतन बसेडिया पुत्र दीपक बसेडिया, निवासी- धूपरवेडा, तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला-नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश चेतन बसेडिया (CHETAN BASEDIYA) नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम अनिश बसेडिया (ANISH BASEDIYA) अंकित है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अनिश बसेडिया (ANISH BASEDIYA) पुत्र दीपक बसेडिया के नाम से जाना-पहचाना व लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(चेतन बसेडिया)
(CHETAN BASEDIYA)

नया नाम
(अनिश बसेडिया)
(ANISH BASEDIYA)
पुत्र-दीपक बसेडिया.

(G-2664)

आम सूचना

मेसर्स स्नेह डेवलपर्स (M/s Sneh Developers), 106, केप्टन सी.एस. नायडू आर्केड, 10/2, ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03-27-01-00245-11, दिनांक 28-3-2011 है. मेसर्स स्नेह डेवलपर्स के विद्यमान साझेदारों में से संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 11-9-2024 के माध्यम से साझेदारगण क्रमांक (1) शोलेन्द्र पोरवाल पिता श्री रामगोपाल पोरवाल, (2) श्री रामस्वरूप पोरवाल पिता श्री रामगोपाल पोरवाल, (3) श्री संतोष झंवर पिता श्री गोविन्द झंवर, (4) श्रीमती उर्मिला धनोतिया पति श्री पुष्पेन्द्र धनोतिया, (5) श्री प्रदीप कुमार धनोतिया पिता श्री शिव कुमार धनोतिया, (6) श्रीमती अनुसुया पोरवाल पति श्री अजित पोरवाल, (7) श्री अनुजीत पोरवाल पिता श्री अजित पोरवाल, (8) श्री अभिषेक जुल्का पिता श्री संतोषराज जुल्का को पृथक किया गया साथ ही माइक्रोमिट्टी सायबर सिटी एलएलपी तर्फे नामित भागीदार श्री मनोज धनोतिया पिता श्री राजेन्द्र कुमार धनोतिया को शामिल किया गया है. वर्तमान में फर्म का संचालन क्रमशः (1) माइक्रोमिट्टी सायबर सिटी एलएलपी तर्फे नामित भागीदार श्री मनोज धनोतिया पिता श्री राजेन्द्र कुमार धनोतिया, पता-106, केप्टन सी.एस. नायडू आर्केड, 10/2 ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.), (2) श्री संतोष कुमार धींग पिता स्व. श्री समरथमल जी धींग, 49, शिवाजी पार्क, उज्जैन (म.प्र.) एवं (3) श्रीमती ममता गुप्ता पति श्री कमल गुप्ता, 761, उषा नगर एक्सटेंशन, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा किया जावेगा.

For-Sneh Developers,**(मनोज धनोतिया)**

पुत्र-श्री राजेन्द्र कुमार धनोतिया,

(संतोष कुमार धींग)

पुत्र-समरथमल जी धींग

(ममता गुप्ता)

पति-श्री कमल गुप्ता

पार्टनर.

(G-2665)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम AVANISH KUMAR GAUR है। यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, अंकसूची आदि दस्तावेजों में दर्ज है। मैं, अपना नाम AVANISH KUMAR GAUR से बदलकर AVANISH BHARDWAJ रख रहा हूँ, उक्त दोनों नाम मुझे एक ही व्यक्ति के हैं। भविष्य में समस्त प्रयोजन हेतु मुझे AVANISH KUMAR GAUR के स्थान पर AVANISH BHARDWAJ के नाम से ही जाना-पहचाना जावे व मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अवनीश भारद्वाज दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(AVANISH KUMAR GAUR)

(G-2666)

नया नाम

(AVANISH BHARDWAJ)

S/o Ramniwas Gaur,

Add.-New Kishan Bag Laxmipuram,

Goud Colony, Bahodapur, Gwalior.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, मोहम्मद एजाज पिता श्री मोहम्मद सिराज, निवासी-मकान नं. 1789, प्रताप नगर बाणगंगा, हुजूर टी. टी. नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम एजाज पिता श्री सिराजुद्दीन अंकित हो गया है। जो कि गलत है। जबकि मेरा सही नाम मोहम्मद एजाज (Mohd Ajaz) पिता श्री मोहम्मद सिराज (Mohd Siraj) दर्ज है जो कि सही है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम मोहम्मद एजाज (Mohd Ajaz) पिता श्री मोहम्मद सिराज (Mohd Siraj) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(एजाज)

(G-2667)

नया नाम

(मोहम्मद एजाज)

(Mohd Ajaz)

पिता-श्री मोहम्मद सिराज,

(Mohd Siraj).

उपनाम परिवर्तन

मैं, रामचंद्र जायसवाल पिता मदनलाल जायसवाल (Ramchandra Jaiswal S/o Madanlal Jaiswal) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम रामचंद्र वर्मा पिता मदनलाल वर्मा (Ramchandra Verma S/o Madanlal Verma) समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है एवं रामचंद्र जायसवाल पिता मदनलाल जायसवाल जो कि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में अंकित हैं। दोनों ही नाम मेरे होकर मेरे द्वारा वर्तमान में रामचंद्र जायसवाल पिता मदनलाल जायसवाल के नाम का उपयोग किया जा रहा है एवं भविष्य में मुझे रामचंद्र जायसवाल पिता मदनलाल जायसवाल (Ramchandra Jaiswal S/o Madanlal Jaiswal) के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाऊंगा।

पुराना नाम

(रामचंद्र वर्मा)

(G-2668)

नया नाम

(रामचंद्र जायसवाल)

पिता-मदनलाल जायसवाल.

नाम परिवर्तन

मैं, गुफरान अनवर खान आत्मज श्री अनवारूल हक, निवासी-ई-9/1, इन्द्र विहार कॉलोनी, तिलक सोसायटी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल. मेरे दस्तावेजों में मेरे पिता के कुछ दस्तावेजों में ANWARUL HAQ तथा कुछ दस्तावेजों में ANWARUL HAQUE लिखा है। ANWARUL HAQ एवं ANWARUL HAQUE दोनों नाम एक ही व्यक्ति मेरे पिता के ही हैं। प्रकाशन के बाद ANWARUL HAQUE नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(गुफरान अनवर खान)

(G-2669)

आत्मज-श्री अनवारूल हक.

CHANGE OF NAME

I, Samay Lal Mishra S/o Mr. Saukhi Lal Mishra, aged around 60 years, resident of Village Sakarjima Post Chakdahi, Tehsil-Semariya, District Rewa (M.P.). That my name as per the record is Samay Lal Misra which my wrong name. That I have correct my name is Samay Lal Mishra. I state that Samay Lal Misra was my wrong name and the Samay Lal Mishra is my correct name.

(G-2670)

भवदीय
(समय लाल मिश्रा).

CHANGE OF NAME

I, Praveen Shekhawat, resident of Village-Agurli, Teh.-Bagli, Dist.-Dewas (M.P.). It is submitted that my mother's name i.e. Smt Meena Shekhawat as recorded in my service document is incorrect, her correct name is Smt. Jirana Bai Sekhawat as mentioned in Aadhar Card & other documents. Now, I want to change my mother's name in my Army Service documents from Meena Shekhwat to Jirana Bai Sekhawat which is correct.

(G-2671)

प्रार्थी
(प्रवीण शेखावत).

नाम परिवर्तन

मैं, चंद्रशेखर पुत्र मोतीलाल, निवासी-करारिया फार्म, कोच फौवट्टी, भोपाल. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश प्रियांश (PRIYANSH) नाम दर्ज हो गया है. जबकि उसके समस्त दस्तावेजों में उसका नाम प्रमोद मालवीय (PRAMOD MALVIYA) अंकित है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम प्रमोद मालवीय (PRAMOD MALVIYA) पुत्र चंद्रशेखर के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

(G-2672)

प्रार्थी
(चन्द्रशेखर).

नाम परिवर्तन

मैं, राम सिंह जवाहर पिता स्व. प्रेमलाल, निवासी-886/टी-6, शक्ति नगर, मानस मंदिर के पास, गुप्तेश्वर, जिला-जबलपुर मध्यप्रदेश. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवेश उसका नाम नीलम दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. जबकि उसका सही नाम पूनम जवाहर है. उक्त दोनों नाम मेरी पुत्री के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम पूनम जवाहर पिता राम सिंह जवाहर के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

(G-2673)

प्रार्थी
(रामसिंह जवाहर).

नाम परिवर्तन

मैं, कमल सिंह पुत्र बंशीलाल, निवासी-म.नं. 45, वार्ड-17, ग्राम-पिपलिया लोरका, तहसील गौहरगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश प्रकाश सिंह (PRAKASH SINGH) नाम दर्ज हो गया है, जबकि उसके समस्त दस्तावेजों में उसका नाम देव राजपूत (DEV RAJPUT) अंकित है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम देव राजपूत (DEV RAJPUT) पुत्र कमल सिंह के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

(G-2674)

प्रार्थी
(कमल सिंह).

नाम परिवर्तन

मैं, मंजू मालवीय पति श्री विनोद मालवीय, निवासी-आर जी-12, बी-ब्लॉक, न्यू रेडियो पुलिस कालोनी, भदमदा रोड, भोपाल मध्यप्रदेश. मेरी सर्विस बुक में मेरा नाम मंजू कुमारी मालवीय दर्ज है. जबकि मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम मंजू मालवीय है, जो कि सही है.

पुराना नाम
(मंजू कुमारी मालवीय)
(G-2675)

नया नाम
(मंजू मालवीय)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पी.पी. ओ. में मेरा नाम राज नारायण सिंह (RAJ NARAYAN SINGH) एवं पिता का नाम श्री हनुमान सिंह (HANUMAN SINGH) दर्ज है. मुझे राजनारायण यादव (RAJNARAYAN YADAV) पिता श्री हनुमान यादव (HANUMAN YADAV) के नाम से पहचाना जाता है. प्रकाशन उपरांत मुझे भविष्य में राजनारायण यादव (RAJNARAYAN YADAV) पिता श्री हनुमान यादव (HANUMAN YADAV) के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं शासकीय, अर्धशासकीय एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं मान्य किया जाए.

पुराना नाम
(राज नारायण सिंह)
(RAJ NARAYAN SINGH)
(G-2676)

नया नाम
(राजनारायण यादव)
(RAJNARAYAN YADAV)
पिता-हनुमान यादव (HANUMAN YADAV)
निवास-361, गाँधी व्यायाम शाला, रांझी, जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पुराना नाम आरूष पटवारी पिता संतोष पटवारी, निवासी-765, पटवारी चौक, बीजलपुर, इंदौर होकर उक्त नाम बदलकर मेरे पुत्र का नया नाम प्रांजल पटवारी पिता संतोष पटवारी होने से नये नाम प्रांजल पटवारी पिता संतोष पटवारी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

(G-2677)

प्रार्थी
(संतोष पटवारी).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मैं, अंगूरी खातून पत्नी मो. तबारक अली खान, पता-म.न. 225, आचार्य नरेन्द्र देव नगर, फातिमा मस्जिद, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.). मेरा पुत्र का सही नाम मोहम्मद साहेब खान (MOHAMMAD SHAHEB KHAN) है. परंतु त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में उसका नाम यासिन अली अंकित हो गया है. जबकि मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में उसका नाम मोहम्मद साहेब खान (MOHAMMAD SHAHEB KHAN) दर्ज है. जो कि सही है.

(G-2678)

प्रार्थी
(अंगूरी खातून).

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम राधिका चौहान अंकित हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम अंशिका चौहान ANSHIKA CHAUHAN है. जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेज जन्म प्रमाण-पत्र आदि समस्त दस्तावेजों में अंकित है, जो सही है. राधिका चौहान RADHIKA CHAUHAN एवं अंशिका चौहान ANSHIKA CHAUHAN उपरोक्त दोनों नाम मुझ प्रार्थी की पुत्री का एक ही के नाम हैं, मेरी पुत्री का नाम RADHIKA CHAUHAN राधिका चौहान के स्थान पर अंशिका चौहान ANSHIKA CHAUHAN मान्य किया जाये.

(G-2679)

प्रार्थी
(धीरेन्द्र सिंह चौहान)
पुत्र-वीरेन्द्र सिंह चौहान,
निवासी-दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Ex NK Kishore, Resident of H. No. 233, AM, Scheme No. 140, Near Pipalahana Talab, Post-Tilak Nagar, District Indore (M.P.). I have changed my name from Kishor to Kishore Mawle.

पुराना नाम
(KISHOR)

नया नाम
(KISHORE MAWLE)

(G-2680)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूक्षमणी बाई पति बालाराम यादव, निवासी-के-23, कुँवर कालोनी, बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन मध्यप्रदेश पूर्व में रूक्षमणी बाई पति बालाराम यादव, के नाम से जानी जाती थी. प्रकाशन उपरांत मुझे अब रूक्षमणी बाई पति बालाराम यादव के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम
(रूक्षमणी बाई)
(RUKAMANI BAI)

नया नाम
(रूक्षमणी बाई यादव)
(RUKSHAMANI BAI YADAV)

(G-2681)

नाम परिवर्तन

मैं, अभिनय सिंह चौधरी पुत्र श्री दामोदर प्रसाद चौधरी (ABHINAY SINGH CHOUDHARY S/o SHRI DAMODAR PRASAD CHOUDHARY) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र शमशेर सिंह चौधरी (SHAMSHER SINGH CHOUDHARY) का नाम आधार कार्ड में रमन अहिरवार पुत्र अभिनय अहिरवार पता विनैका बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) दर्ज हो गया था. वर्तमान में उसका नाम जन्म प्रमाण-पत्र में सुधारकर शमशेर सिंह चौधरी पुत्र श्री अभिनय सिंह चौधरी (SHAMSHER SINGH CHOUDHARY S/o ABHINAY SINGH CHOUDHARY) हो गया है. उसके शैक्षणिक, जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में नाम शमशेर सिंह चौधरी दर्ज है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के शासकीय, अशासकीय, संस्थागत एवं व्यक्तिगत दस्तावेजों में शमशेर सिंह चौधरी (SHAMSHER SINGH CHOUDHARY) नाम से लिखा-पढ़ा-दर्ज किया जावे.

सूचनाकर्ता

(अभिनय सिंह चौधरी)

पता-मनोज माली के बगीचे के पास पण्डापुरा,
बाघराज वार्ड क्र. 47, सागर (म.प्र.).

(G-2682)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं शिक्षा संबंधी दस्तावेज में मेरा नाम विजय सिंह चौधरी, पिता श्री शंकर सिंह चौधरी दर्ज है एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विजय चौधरी पिता श्री शंकर सिंह चौधरी दर्ज है, ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम विजय चौधरी पिता श्री शंकर सिंह चौधरी के स्थान पर विजय सिंह चौधरी पिता श्री शंकर सिंह चौधरी के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(विजय चौधरी)

नया नाम
(विजय सिंह चौधरी)
पता-6वीं बटालियन थाना रांझी,
जिला जबलपुर (म.प्र.).

(G-2683)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम राजश्री गुप्ता पिता विहारी लाल गुप्ता लिखा हुआ था. विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम मीना उपाध्याय पत्नी संजय उपाध्याय कर लिया है, सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेज में दर्ज है, प्रकाशन उपरांत मुझे संशोधित नाम मीना संजय कुमार पत्नी संजय उपाध्याय के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम
(राजश्री गुप्ता/मीना उपाध्याय)
(G-2684)

नया नाम
(मीना संजय कुमार)
पत्नी-संजय उपाध्याय.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स डब्ल्यू एम पमनानी (WMPAMNANI) जो 83, प्रिंस कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल 420001 में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र.01-01-01-00435-11, 2010-2011, दिनांक 5-1-2011 है. जिसमें से दिनांक 1-4-2024 को भागीदार श्री वध्यराम पमनानी पुत्र श्री मेवल्दास, निवासी-172-173, प्रभु नगर ईदगाह हिल्स, नियर लाल साई स्कूल, भोपाल 420001. अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं स्व. श्री नरेश कुमार पमनानी पुत्र श्री वध्यराम पमनानी, निवासी-83, प्रिंस कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल 420001 का स्वर्गवास (दिनांक 18-3-2024) होने से फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा स्व. श्री राकेश कुमार पमनानी पुत्र श्री वध्यराम पमनानी, निवासी-83, प्रिंस कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल 420001 का स्वर्गवास (दिनांक 17-3-2024) होने से फर्म से पृथक् हो गये हैं.

मेसर्स डब्ल्यू एम पमनानी,

1. इंजीनियर सुनील कुमार पमनानी,
2. चारुलता पमनानी,
3. कीर्ति देवी पमनानी,
4. सुनीता देवी पमनानी
(भागीदार).

(G-2685)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद अनस (MOHAMMAD ANAS) पिता मोहम्मद अनवर (MOHAMMAD ANWAR) माता खदीजा तुल कुबरा (KHADEEJA TUL KUBRA), निवासी 1129, नया मोहल्ला रोड, हिन्द फर्नीचर के सामने, जबलपुर (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम मोहम्मद अनस (MOHAMMED ANAS) मेरे पिता का नाम मो अनवर (MOHD ANWAR) एवं माता का नाम खदीजा बेगम (KHADIJA BEGUM) दर्ज है, जबकि मेरा एवं मेरे माता-पिता का नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड में मोहम्मद अनस (MOHAMMAD ANAS) पिता मोहम्मद अनवर (MOHAMMAD ANWAR) माता खदीजा तुल कुबरा (KHADEEJA TUL KUBRA) दर्ज है, जो कि सही है. प्रकाशन उपरांत मेरा एवं मेरे माता-पिता का नाम आधार कार्ड व पेन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा एवं मेरे माता पिता का सही नाम मोहम्मद अनस (MOHAMMAD ANAS) पिता मोहम्मद अनवर (MOHAMMAD ANWAR) माता खदीजा तुल कुबरा (KHADEEJA TUL KUBRA) पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(मोहम्मद अनस)
(MOHAMMAD ANAS).

(G-2686)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स-सियाराम स्टोन क्रेशर, छतरपुर, ऑफिस शॉप नं. 10, वार्ड नं. 01 बस स्टैंड लोहे की मस्जिद के पीछे, छतरपुर तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) 477001. पंजीयन क्र. 06-12-01-0148-18, पंजीयन दिनांक 18-2-2018, को पंजीयत हुई. जिसमें श्री प्रमोद कुमार साहू, श्री अवधेश गुप्ता, श्रीमती प्रतिज्ञा गुप्ता एवं श्रीमती प्रीति साहू, भागीदार थे और दिनांक 10-10-2024 को श्री अवधेश गुप्ता, श्रीमती प्रतिज्ञा गुप्ता एवं श्रीमती प्रीति साहू ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गईं और आज दिनांक 10-10-2024 को श्री अमित द्विवेदी, श्री मोहित सोनी एवं श्री हर्ष शुक्ला फर्म में शामिल हो गये हैं. आज दिनांक 10-10-2024 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार है. श्री प्रमोद कुमार साहू, श्री अमित द्विवेदी, श्री मोहित सोनी एवं श्री हर्ष शुक्ला.

मेसर्स-सियाराम स्टोन क्रेशर
(प्रमोद कुमार साहू)
भागीदार

(G-2687)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शशि भूषण द्विवेदी पिता श्री सियाराम द्विवेदी, निवासी-प्लॉट नं. 4, गली नं. 11, समदड़िया ग्रीन शहर के पास जबलपुर मध्यप्रदेश. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, पी.पी.ओ. फार्म में मेरा नाम (Shashi Bhushan Dwivedy) अंकित है तथा मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम शशि भूषण द्विवेदी (Shashi Bhushan Dwivedi) लिखी हुई है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम शशि भूषण द्विवेदी (Shashi Bhushan Dwivedi) से ही जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शशि भूषण द्विवेदी)

(Shashi Bhushan Dwivedy)

(G-2688)

नया नाम

(शशि भूषण द्विवेदी)

(Shashi Bhushan Dwivedi)

पिता-श्री सियाराम द्विवेदी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सृष्टि सराफ (SRISHTI SARAF) पुत्री श्री सुधीर सराफ, निवासी-03, दक्षिण सिटी एन्क्लेव एक्सटेंशन, गुजराती कॉलोनी, बावडिया कलां, भोपाल (म.प्र.). जिसका पूर्व का नाम स्नेहा सराफ (SNEHA SARAF) था, जो उसके आधार कार्ड में दर्ज है, जिसका नाम परिवर्तित कर सृष्टि सराफ (SRISHTI SARAF) रख दिया है तथा भविष्य में भी इसी नाम से जानी व पहचानी जायेगी एवं यही नाम अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र आदि में भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(स्नेहा सराफ)

(SNEHA SARAF)

(G-2689)

नया नाम

(सृष्टि सराफ)

(SRISHTI SARAF).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश सृष्टि सिंह (Srishty Singh) अंकित हो गया है. जबकि मेरी पुत्री का सही नाम अनुकृति सिंह (Anukriti Singh) है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज एवं जाति प्रमाण-पत्र में उसका नाम अनुकृति सिंह (Anukriti Singh) अंकित है. मेरी पुत्री को अनुकृति सिंह (Anukriti Singh) के नाम से जाना व पहचाना जाता है.

प्रार्थिनी

(प्रतिभा सिंह)

पता-तहसील सोहागपुर,
जिला शहडोल (म.प्र.).

(G-2690)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms "M/S BALLARI MAA STONE CRUSHER" R/o APPROACH ROAD KOLARAS, DISTRICT SHIVPURI 473770 (M.P.) Vide Registration No. 02-41-01-00094-14, dated 21-7-2014 has undergone reconstitution in the partnership, whereby Partner Anita Bindal is joining the firm from 23-7-2020 and on the same date partner Amrita Goyal and Gopal Sharan Goyal are retiring from the firm.

M/S Ballari Maa Stone Crusher
RAMESHWAR GUPTA,
(Partner).

(G-2691)

नाम परिवर्तन

मैं, देव (DEV) पुत्र विमलेश कुमार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम मुकेश कुमार (MUKESH KUMAR) था. जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं, देव पुत्र विमलेश कुमार के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. देव एवं मुकेश कुमार दोनों मेरे ही नाम है. अतः मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम मुकेश कुमार के स्थान पर देव लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(मुकेश कुमार)

नया नाम
(देव)
पुत्र-विमलेश कुमार,
पता-खुरैरी बड़ागांव, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2692)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms "M/s RAGHUKUL INFRASTRUCTURE" of 23, PARIKA SOCIETY (PHASE-II) HUJOUR, BHOPAL 462016 (M.P.). Vide Registration No. 01-01-01-0400-18, dated 20-01-2018 has undergone reconstitution in the partnership, whereby partner Mr. Nitin Raghuwanshi S/o Shri Meharwan Singh is joining the firm from 16-9-2024 as a Partner and on the same date partner Mr. Amit Singh Raghuwanshi S/o Shri Mahendra Singh Raghuwanshi is retiring from the Firm.

M/s RAGHUKUL INFRASTRUCTURE
NITIN RAGHUWANSHI,
S/o Shri Mahendra Singh Raghuwanshi
(Partner).

(G-2693)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहन नार्वे (MOHAN NARVE) पुत्र मुन्ना लाल जाटव सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम मोहन जाटव (MOHAN JATAV) था. जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, मोहन नार्वे पुत्र मुन्ना लाल जाटव के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे पेन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. मोहन नार्वे एवं मोहन जाटव दोनों मेरे ही नाम है. अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम मोहन जाटव के स्थान पर मोहन नार्वे लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(मोहन जाटव)

नया नाम
(मोहन नार्वे)
पुत्र-मुन्ना लाल जाटव,
पता-लाल टिपारा, मुरार,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2694)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनिताबाई पति संजय (पिता प्रकाशचन्द्र जैन) जाति महाजन, निवासी- धार, जिला धार. मेरा नाम शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंतिमबाला पिता प्रकाशचन्द्र अंकित है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना-पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. भविष्य में मुझे अनिताबाई पति संजय के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम
(अंतिमबाला)

नया नाम
(अनिताबाई).

(G-2695)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुचिता पति धनपाल (पिता प्रकाशचन्द्र जैन) जाति महाजन, निवासी- वार्ड नं. 15, सुगनश्री कॉलोनी, जावरा, जिला रतलाम, (मध्यप्रदेश). मेरा नाम शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में शकुन्तला पिता प्रकाशचन्द्र अंकित है. मुझे दोनों नामों से जाना-पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. भविष्य में मुझे सुचिता पति धनपाल के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम
(शकुन्तला)

नया नाम
(सुचिता)

(G-2696)

नाम परिवर्तन

मैं, बेदरामसिंह (BEDRAMSINGH) पुत्र हरज्ञानसिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम चेतन दास (CHETANDAS) था. जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं, बेदरामसिंह पुत्र हरज्ञानसिंह के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे वोटर कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. बेदरामसिंह एवं चेतन दास दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम चेतन दास के स्थान पर बेदरामसिंह लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(चेतन दास)

नया नाम
(बेदरामसिंह)
पुत्र-हरज्ञानसिंह,
पता-8, डांग सरकार, ग्राम डांगसरकार,
गोहद, भिण्ड (म.प्र.).

(G-2697)

नाम परिवर्तन

मैं, उमा शर्मा (UMA SHARMA) पत्नी निलेश शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम नेहा शर्मा (NEHA SHARMA) था. जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य शासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, उमा शर्मा पत्नी निलेश शर्मा के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. उमा शर्मा एवं नेहा शर्मा दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य शासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम नेहा शर्मा के स्थान पर उमा शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(नेहा शर्मा)

नया नाम
(उमा शर्मा)
पत्नी-निलेश शर्मा,
पता-159, ग्राम जाबड़ा, तहसील बदनावर,
जिला धार (म.प्र.).

(G-2698)

नाम परिवर्तन

मैं, मंजू शर्मा (MANJU SHARMA) पत्नी बिजेन्द्र कुमार शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम मंजूलता (MANJULATA) था. जो मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं, मंजू शर्मा पत्नी बिजेन्द्र कुमार शर्मा के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. मंजूलता एवं मंजू शर्मा दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम मंजूलता के स्थान पर मंजू शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(मंजूलता)

नया नाम
(मंजू शर्मा)
पत्नी-बिजेन्द्र कुमार शर्मा,
पता-52, ग्राम तेजपुरा, गोरमी,
जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-2699)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती संतोष खांडेगर (SANTOSH KHANDEGAR) पत्नी राकेश खांडेगर सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम उमा (UMA) एवं नेहा (NEHA) पुत्री नारायण था. जो मेरे वोटर कार्ड एवं अन्य शासकीय प्रमाण-पत्रों में लिखा गया है. जबकि विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती संतोष खांडेगर पत्नी राकेश खांडेगर हो गया है. वर्तमान में मैं, श्रीमती संतोष खांडेगर पत्नी राकेश खांडेगर के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरे वोटर कार्ड एवं अन्य शासकीय प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम उमा एवं नेहा पुत्री नारायण के स्थान पर श्रीमती संतोष खांडेगर पत्नी राकेश खांडेगर लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(उमा एवं नेहा)
पुत्री-नारायण

नया नाम
(संतोष खांडेगर)
पत्नी-राकेश खांडेगर,
पता-38/06, राजीव नगर, आगर रोड,
उज्जैन (म.प्र.).

(G-2700)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रतिभा पति प्रदीपकुमार (पिता प्रकाशचन्द्र जैन) जाति महाजन, निवासी- 595, पानी की टंकी के सामने, ग्राम कानवन, जिला धार, मध्यप्रदेश. मेरा नाम शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में धापूबाई पिता प्रकाशचन्द्र अंकित है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना-पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. भविष्य में मुझे प्रतिभा पति प्रदीपकुमार के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम
(धापूबाई)

नया नाम
(प्रतिभा).

(G-2701)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शांता बाई पति प्रकाशचन्द्र जैन, निवासी-वार्ड नं. 09, काशीराम कॉलोनी, जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश. मेरा नाम शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में शांतिबाई बैवा प्रकाशचन्द्र अंकित है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना-पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. भविष्य में मुझे शांता बाई पति प्रकाशचन्द्र के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम
(शांतिबाई)

नया नाम
(शांता बाई)

(G-2702)

उपनाम परिवर्तन

मैं, प्रतीक शर्मा (Pratik Sharma) पिता श्री मुकेश मालवीय मेरा पूर्व का नाम प्रतीक मालवीय (Pratik Malviya) पिता श्री मुकेश मालवीय था तथा अब मुझे प्रतीक शर्मा (Pratik Sharma) पिता श्री मुकेश मालवीय के नाम से जाना-पहचाना जाता है. प्रतीक शर्मा (Pratik Sharma) एवं प्रतीक मालवीय (Pratik Malviya) दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. याने कि मेरे प्रकाशन उपरांत मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तवेजों में प्रतीक शर्मा (Pratik Sharma) पिता श्री मुकेश मालवीय के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम

(प्रतीक मालवीय)
(Pratik Malviya)

नया नाम

(प्रतीक शर्मा)
(Pratik Sharma)

पिता-मुकेश मालवीय,

पता-207, पलसीकर कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.).

(G-2703)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दमयंती मुले पति स्व. श्री वसंतराव कोलम्बेकर, निवासी-118, शास्त्री नगर, रतलाम मध्यप्रदेश. मेरा नाम पति वसंतराव पिता रामचन्द्र कोलम्बेकर के सर्विस रिकॉर्ड में वनिता (VANITA) अंकित है. मुझे दोनों नामों से जाना-पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. भविष्य में मुझे दमयंती मुले (DAMYANTI MULE) पति स्व. श्री वसंतराव कोलम्बेकर के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम

(वनिता)
(VANITA)

नया नाम

(दमयंती मुले)
(DAMYANTI MULE)

पति-स्व. श्री वसंतराव कोलम्बेकर.

(G-2704)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम तनवी शर्मा (TANVI SHARMA) पिता नितेश शर्मा था. जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र में दर्ज है. मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर मृगाक्षिका शर्मा (MRIGAKSHIKA SHARMA) पिता नितेश शर्मा कर लिया है, अतः भविष्य में मेरी पुत्री को उसके परिवर्तित नाम मृगाक्षिका शर्मा (MRIGAKSHIKA SHARMA) पिता नितेश शर्मा के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे एवं तनवी के स्थान पर मृगाक्षिका लिखा व पढ़ा जावे.

आवेदक

(नितेश शर्मा)

पिता-नत्थी लाल शर्मा,

पता-78, तानसेन नगर,

गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2705)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नीलम चौहान पति बलराम सिंह चौहान है, मेरा विवाह पूर्व नाम लीला (LEELA) पिता हरिराम चौहान था. मेरा विवाह श्री बलराम सिंह चौहान पिता श्री भोगीराम चौहान के साथ होने से मेरा वर्तमान नाम श्रीमती नीलम चौहान (NEELAM CHAUHAN) पति श्री बलराम सिंह चौहान हो गया है. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नए नाम श्रीमती नीलम चौहान के नाम से जाना-पहचाना जाये एवं मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(लीला)

नया नाम

(नीलम चौहान)

पति-श्री बलराम सिंह चौहान,

पता-शिवनगर गली नं. 2, घोसीपुरा,

गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2706)

नाम परिवर्तन

श्रीमती सगुनादेवी पुत्री स्वर्गीय श्री बौबदी प्रसाद पत्नी स्वर्गीय श्री धनसिंह भारती, निवासी-फालका बाजार, महावीर विद्यालय के पास, अजयपुर, लश्कर, ग्वालियर है. मेरा नाम सगुनादेवी मेरे कुछ दस्तावेजों में एवं पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में रेखा लेखबद्ध है. प्रकाशन उपरांत मैंने अपना पूर्व नाम रेखा बदलकर सगुनादेवी पत्नी स्वर्गीय श्री धनसिंह भारती कर लिया है. अब मुझे सगुनादेवी के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम
(रेखा)

नया नाम
(सगुना देवी)
पत्नी-स्व. श्री धनसिंह भारती.

(G-2707)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम पूनम राजेश बजाज पिता श्री राजेश बजाज है. विवाह के पूर्व के मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों व अन्य दस्तावेजों में अंकित है. मेरा विवाह श्री गुलशन झामनानी से हो जाने के कारण मैंने अपना नाम व सरनेम परिवर्तित कर कियारा झामनानी (KIARA JHAMNANI) कर लिया है. भविष्य में मुझे प्रचलित नाम पूनम राजेश बजाज की जगह नये नाम कियारा झामनानी (KIARA JHAMNANI) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(पूनम राजेश बजाज)

नया नाम
(कियारा झामनानी)
पति-गुलशन झामनानी,
निवासी-पंकज टॉकीज के पीछे मोहन नगर,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(G-2708)

नाम परिवर्तन

मैं, ललित शर्मा पुत्र श्री दामोदर शर्मा, निवासी-G-72, ऋषि नगर कॉलोनी, उज्जैन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश राजू शर्मा दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम ललित शर्मा (LALIT SHARMA) पुत्र दामोदर शर्मा है. जो कि मेरे पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों में अंकित है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं

पुराना नाम
(राजू शर्मा)

नया नाम
(ललित शर्मा)
(LALIT SHARMA)
पुत्र-दामोदर शर्मा.

(G-2709)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम जसमीत कौर था, जो विवाह पश्चात् जसमीत कौर नैय्यर हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम
(जसमीत कौर)

नया नाम
(जसमीत कौर नैय्यर)
पता-163-A, श्री कृष्ण एवेन्यू, फेस-2,
लिम्बोदी खंडवा रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2710)

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश दुबे पुत्र श्री धनीराम दुबे, निवासी-ग्राम सालेचौका, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मयंक दुबे दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे बेटे का सही नाम गोविन्द दुबे (GOVIND DUBEY) पुत्र मुकेश दुबे है. जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्धशासकीय एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में सही नाम गोविन्द दुबे (GOVIND DUBEY) पुत्र मुकेश दुबे से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

(G-2711)

प्रार्थी,
(मुकेश दुबे).

CHANGE OF NAME

It is informed to the general public that I Vinodi Lal Pawar S/o Sojar Lal Pawar (विनोदी लाल पवार पिता सोजर लाल पवार) resident of village Subhash Ward, Pandhurna, Tehsil Pandhurna, District Chhindwara, M.P. Vinodi Lal Buwade, S/o Sojar Lal Buwade (विनोदी लाल बुवाडे पिता सोजर लाल बुवाडे) is recorded in my Voter ID and Service Record and PF Hat, but in my Aadhar Card and Domicile my name is recorded as Vinodi Lal Pawar S/o Sojar Lal Pawar (विनोदी लाल पवार पिता सोजर लाल पवार) I want to get Vinodi Lal Pawar S/o Sojar Lal Pawar (विनोदी लाल पवार पिता सोजर लाल पवार) recorded in all my government and non-government documents and will be known and identified Vinodi Lal Pawar only.

Applicant

(VINOD LAL PAWAR).

(G-2712)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अनिता राठौर पति श्री अजित राठौर, पता-दुर्गा चौक, शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला बैतूल मध्यप्रदेश.पहचान-पत्र में मेरा नाम अनिता राठौर है. जो कि सही है किन्तु त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गीता राठौर अंकित हो गया है. इसलिए आधार कार्ड में नाम परिवर्तित कर अनिता राठौर दर्ज किया जावे व अन्य सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में भी अनिता राठौर दर्ज किया जावे जो कि मेरे पहचान-पत्र व बैंक पासबुक के अनुसार सही है.

पुराना नाम
(गीता राठौर)

नया नाम
(अनिता राठौर).

(G-2713)

नाम परिवर्तन

मैं, महाराज सिंह धाकड़ पुत्र श्री भवानी प्रसाद, निवासी-ग्राम-पचपेड़िया, पोस्ट-मुडियाखेड़ा, गैरतगंज, रायसेन, भोपाल, मध्यप्रदेश. यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम प्रति धाकड़ अंकित हो गया जो कि गलत है, जबकि उसका सही नाम खुशी धाकड़ (KHUSHI DHAKAD) है, जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्धशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम खुशी धाकड़ पुत्री महाराज सिंह धाकड़ से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

(G-2714)

प्रार्थी,
(महाराज सिंह धाकड़).

NOTICE**(U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)**

It is published for general information that SHRI SURESH FOUZDAR S/o SHRI SUNIL FOUZDAR, R/o VILLAGE TAWAKATHI, DIST. BETUL, TEHSIL GHORADONGRI (M.P.) PIN No. 460440 has retired on 2-12-2023 from the firm M/s UJJAINI INFRASTRUCTURE (Regn. No. 03/27/01/0438/24), at FLAT No. 202, TOWER No. 16, TREASURE TOWN, BIJALPUR, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.) PIN No. 452012 and SHRI SANIDHYA AGRAWAL

S/o SHRI SANJAY AGRAWAL, 1/1, SHEELNATH CAMP, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.) PINo. 452001, M/s AIREN CONSTRUCTION PVT. LTD., THROUGH ITS DIRECTOR SHRI KESIIAVAIREN S/o SHRI ASHOK AIREN, 401, VIKRAM HEIGHTS, PLOT No. 25/2, Y.N. ROAD, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.) PIN. 452003, SHRI AKHILESH MANGAL S/o SHRI JAGDISHCHANDRA MANGAL, 599/1, SNEH NAGAR, SAPNA SANGEETA ROAD, BEHIND OF LOTUS SHOWROOM, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.) PIN. 452001, SHRI ANUJ MANGAL S/o SHRI SHANKARLAL MANGAL, 29, USHA NAGAR, EXTENTION BEHIND OF BANK OF PATTYALA, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.) PIN No. 452001, has joined as a new partner on 2-12-2023 in the firm M/s UJJAINI INFRASTRUCTURE, (Reg. No. 03/27/01/0438/24), FLAT No. 202, TOWER No. 16, TREASURE TOWN, BIJALPUR, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.) Pin. 452012.

For M/s UJJAINI INFRASTRUCTURE,

(SYED IRFAN ALI)

(Partner).

(G-2715)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मानसिंह मालवीय मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम मुस्कान मालवीय (MUSKAN MALVIYA) गलत अंकित हो गया है. अतः उसका सही नाम समीक्षा मालवीय (SAMIKSHA MALVIYA) है. जो कि उसके सभी दस्तावेजों में दर्ज है. प्रकाशन उपरांत उसे समीक्षा मालवीय (SAMIKSHA MALVIYA) के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी,

(मानसिंह मालवीय)

पता-89/1, टीलाखेड़ी नयी वस्ती,

विदिशा (म.प्र.).

(G-2716)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स अवध एसोसियेट डैनिहा सीधी जिसका फर्म पंजीयन क्र. 05-25-01-00144-14 है. जिसके भागीदार सर्व श्री अमित कुमार सिंह 2. अजय सिंह, 3. रानू सिंह, 4. प्रीति सिंह एवं 5. शिवेंद्र सिंह आज दिनांक 1-7-2024 से फर्म से पृथक् हो गये हैं. अब वर्तमान में फर्म में केवल 2 भागीदार प्रथम अजीत कुमार सिंह 60 प्रतिशत एवं शैलेन्द्र सिंह 40 प्रतिशत के भागीदार शेष बचे हैं. बाकी फर्म का संचालन पूर्वत दोनों भागीदार करते रहेंगे तथा जो भी लेनदारी-देनदारी होगी वह दोनों भागीदार बराबर के जिम्मेदार होंगे. पृथक् हुये भागीदारों से कोई भी लेना-देना नहीं होगा.

मेसर्स अवध एसोसियेट,

(शैलेन्द्र सिंह)

पिता-योगेन्द्र सिंह,

पता-ग्राम बंजारी पोस्ट बंजारी,

जिला सीधी (म.प्र.).

(G-2718)

नाम परिवर्तन

मैं, शशिकला मानकर पत्नी श्री शेषराव मानकर, निवासी-ग्राम बाजपुर, पोस्ट-बैतूल, जिला-बैतूल, मध्यप्रदेश. यह कि मेरे शासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम प्रमिला अंकित हो गया जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम शशिकला मानकर (SHASHIKALA MANKAR) है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम शशिकला मानकर (SHASHIKALA MANKAR) पत्नी श्री शेषराव मानकर से जाना-पहचाना व लिखा- पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(प्रमिला)

नया नाम

(शशिकला मानकर)

(SHASHIKALA MANKAR)

पत्नी-श्री शेषराव मानकर.

(G-2719)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास, अनुभाग राऊ, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश**

इन्दौर, दिनांक 22 नवम्बर 2024

(फार्म-चार)

क्र. 830-री.राऊ-2024.-आवेदक प्रदीप कुमार पिता सुंदरलाल जैन ट्रस्टी तर्फे श्री पूर्ण आयु चैरिटेबल फाउण्डेशन, पता-ए-3, 302, अवासा टाउनशीप, बिजलपुर, इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस-1951) की धारा 4 के अंतर्गत उपरोक्त उल्लेखित नाम के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	: श्री पूर्ण आयु चैरिटेबल फाउण्डेशन.
पता	: ए-3, 302, अवासा टाउनशीप, बिजलपुर, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	: निरंक.
चल सम्पत्ति	: निरंक.

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-2720)

विनोद राठौर, अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अधारताल, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2024

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

रा.प्र.क्र.-002-बी-113-2024-25. -चूंकि, प्रकरण में आवेदक न्यास वैद्य केदारनाथ रामेश्वरी देवी सेवा न्यास द्वारा श्री मदन गोपाल गुप्ता, अंशुमान गुप्ता एवं श्रीमती अनीता गुप्ता, पता-म. नं. 3006 काली मंदिर के पास कटरा अधारताल, जिला जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन वैद्य केदारनाथ रामेश्वरी देवी सेवा न्यास का नवीन न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 15-12-2024 को विचार के लिए नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उक्त नियुक्त के बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों /सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम : "वैद्य केदारनाथ रामेश्वरी देवी सेवा न्यास"
2. न्यास का पता : म. नं. 3006 काली मंदिर के पास कटरा अधारताल, जिला जबलपुर (म.प्र.).
3. न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य : समाज के लोगों को धार्मिक, अध्यात्मिक भौतिक मानसिक शैक्षिक, शारीरिक एवं आर्थिक उत्थान हो सके. असहाय दिव्यांग दीन-दुखी तथा निर्धन लोगों का कल्याण व भला हो सके.
4. उत्तराधिकारी : न्यास के मुख्य न्यासी को मिलाकर कम से कम 5 न्यासी, 5 न्यासी से कम होने पर मुख्य न्यास तीन माह के अंदर इसकी पूर्ति करेगा. 5 न्यासी से कम होने पर न्यास अपने कोई भी निर्णय नहीं कर सकेगा.

(G-2721)

शिवाली सिंह, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास उपखण्ड-बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर दिनांक 21 नवम्बर 2024

(नियम पांच-1 देखिए)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत]

प्र.-क्र.- --बी-113-2024-25 क्र.-लो.न्या.-2024-2786.-एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष आवेदक/अध्यक्ष श्री बालयोगी पुरनदास बाबा ट्रस्ट गणपति मंदिर गणपति नाका, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष राधेश्याम पिता भिकाराम यादव, निवासी-वार्ड नंबर 22, सिंधीपुरा गेट के पास आलमगंज मालीवाडा, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा एक आवेदन-पत्र पेश कर श्री बालयोगी पुरनदास बाबा ट्रस्ट गणपति मंदिर गणपति नाका, तहसील व जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 21 नवम्बर 2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और उपरोक्त अवधि में मेरे या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार में नहीं लिया जावेगा :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. नाम श्री बालयोगी पुरनदास बाबा ट्रस्ट गणपति मंदिर गणपति नाका शहर तहसील व जिला बुरहानपुर एवं अध्यक्ष राधेश्याम पिता भिकाराम यादव, निवासी-वार्ड नं. 22, सिंधीपुरा गेट के पास आलमगंज मालीवाडा, तहसील व जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश.
2. चल सम्पत्ति : निरंक
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

पल्लवी पुराणिक, पंजीयक.

(G-2722)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

जूनी इन्दौर, दिनांक 2 दिसम्बर 2024

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 6664-रीडर-1-24.-आवेदक विजय नगीनचन्द कोठारी चैरेटेबल ट्रस्ट, पता-ई-12, साकेत नगर, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

विजय नगीनचन्द कोठारी चैरेटेबल ट्रस्ट, पता-ई-12, साकेत नगर, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक 02 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-2723)

घनश्याम धनगर, पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग गोरखपुर, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2024

प्रारूप-4

[नियम-4(2) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

रा.प्र.क्र.-0002-बी-113(4)-2024-25. प्र.क्र.-रीडर-अ.-वि.-अ.-गोर.-2024.-चूंकि आवेदक सत्यानन्द परमार्थ ट्रस्ट, अध्यक्ष महमूद पिता अब्दुल करीम ट्रस्ट, पता-19, सत्यानंद बिहार रामपुर, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश के द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-14 के तहत सत्यानन्द परमार्थ ट्रस्ट, पता-19, सत्यानंद बिहार रामपुर को भंग/समाप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संघारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 11-12-2024 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम व पता : सत्यानंद परमार्थ ट्रस्ट,
सत्यानंद बिहार रामपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.).

(G-2724)

पंकज मिश्रा, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, मध्यप्रदेश

दिनांक 18 नवम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-क्यू-01.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा शुभ वन्देमातरम साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक-डीआर-आयडीआर-1983, दिनांक 27 मई 2000 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-क्यू-01.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा सूर्य प्रकाश मित्र मण्डल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक-डीआर-आयडीआर-360, दिनांक 11 जनवरी 1971 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापक—2024—क्यू—01.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा श्रमिक महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक—डीआर—आयडीआर—1935, दिनांक 23 फरवरी 1999 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता—123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापक—2024—क्यू—01.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा सर्वप्रिय बचत साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक—डीआर—आयडीआर—859, दिनांक 28 जुलाई 1987 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता—123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-क्यू-01.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा सैफी साख सहकारी संस्था मर्या, इन्दौर, पंजीयन क्रमांक-डीआर-आयडीआर-295, दिनांक 23 नवम्बर 1965 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-क्यू-01.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा श्री सत्य साईं साख सहकारी संस्था मर्या, इन्दौर, पंजीयन क्रमांक-डीआर-आयडीआर-1852, दिनांक 30 जुलाई 1997 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापक—2024—क्यू—01.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया एम्प. साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक—डीआर—आयडीआर—719, दिनांक 22 जुलाई 1983 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता—123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापक—2024—क्यू—01.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा संत सुन्दरदास साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक—डीआर—आयडीआर—131, दिनांक 14 जनवरी 1992 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता—123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-क्यू-01.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा यादें साख सहकारी संस्था मर्या, इन्दौर, पंजीयन क्रमांक-डीआर-आयडीआर-1193, दिनांक 21 दिसम्बर 1993 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें। बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा।

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-क्यू-01.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा सिरपुर साख सहकारी संस्था मर्या, इन्दौर, पंजीयन क्रमांक-डीआर-आयडीआर-2486, दिनांक 8 फरवरी 2011 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें। बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा।

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-क्यू-01.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा शांति साख सहकारी संस्था मर्या, इन्दौर, पंजीयन क्रमांक-डीआर-आयडीआर-2030, दिनांक 28 फरवरी 2001 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-क्यू-01.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा संजय नगर परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या, इन्दौर, पंजीयन क्रमांक-डीआर-आयडीआर-1144, दिनांक 17 सितम्बर 1992 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-क्यू-01.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा सर्वहित साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक-डीआर-आयडीआर-2079, दिनांक 9 मई 2002 को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-क्यू-01.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा सुर्योदय साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक-डीआर-आयडीआर-1947, दिनांक.....को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः, मैं, सुनील सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई लेना-देना शेष हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल, अचल सम्पत्तियों अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

(G-2725)

सुनील सक्सेना, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2024-अग्रहायण 22, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)